भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या - 95
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 नवम्बर, 2014/7 अग्रहायण, 1936 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

***95. श्री असादुद्दीन ओवैसी :**
श्री पी. सी. मोहन :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (सीएसआर) नियम, 2014 में निहित अधिदेश के अनुसार कंपनियों ने विभिन्न सामाजिक कार्यकलापों पर अपनी आय का कम-से-कम दो प्रतिशत धनराशि खर्च की है/कर रही है;
(ख) यदि हां, तो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत कंपनी-वार कुल कितनी धनराशि प्रोद्भूत हुई और उपयोग की गई तथा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत राज्य-वार किस प्रकार के कार्य किए गए/शामिल किए गए;
(ग) क्या सरकार का विचार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों में स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ गंगा मिशन के लिए कंपनियों से अंशदान/दान लेने की अनुमति प्रदन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कंपनियों द्वारा कितना अंशदान/दान दिया गया है; और
(घ) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत कंपनियों द्वारा खर्च की गई धनराशि की लेखापरीक्षा के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (घ) : एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है।

*****

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित लोक सभा में दिनांक 28.11.2014 को उत्तर देने के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 95 के भाग (क) से (घ) तक के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के साथ कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 को 01.04.2014 से लागू किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व के कार्यान्वयन का यह प्रथम वर्ष है। विवरण, जैसे कि खर्च की गई राशि और कंपनियों द्वारा चलाई जाने वाली गतिविधियों की प्रकृति कंपनियों द्वारा सीएसआर पर व्यय का अनिवार्य प्रकटन करने के बाद ही उपलब्ध होंगे जो सितंबर, 2015 के बाद देय होगा। 'स्वच्छ भारत अभियान' और 'स्वच्छ गंगा मिशन' को सीएसआर गतिविधियों के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में 24.10.2014 से शामिल किया गया है। कंपनियों द्वारा इस संबंध में उनके अंशदान का विवरण भी उपरोक्तानुसार उपलब्ध होगा।

(घ) : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 कंपनियों के वार्षिक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मापदंडों को नियत करती है; इसमें पात्र कंपनियों द्वारा सीएसआर पर व्यय की गई राशि भी शामिल होगी। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) सीएसआर गतिविधियों पर व्यय के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट तैयार कर रहा है जो लेखापरीक्षकों को मार्गनिर्देश उपलब्ध कराएगा।

*****